



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-258200
CG-DL-E-24102024-258200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 14, 2024/ आश्विन 22, 1946

No. 579]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ ASHVINA 22, 1946

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2024

सा. का. नि. 635(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 129 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (य) के अनुसरण में, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना**—ये नियम निर्दिष्ट इकाई को लागू होंगे।
- परिभाषा**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;
(ख) “अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची में यथाउपबंधित विशिष्टियां प्रकट करने वाले कथन अभिप्रेत है ;
(ग) “कंपनी अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है ;

- (घ) “वित्तीय विवरण” से कंपनी अधिनियम की धारा 129 के साथ पठित धारा 2 के खंड (40) में यथा विनिर्दिष्ट वित्तीय विवरण अभिप्रेत है ;
- (ङ) “वित्तीय वर्ष” से कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (41) में यथा विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ;
- (च) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (छ) “विनिर्दिष्ट इकाई” से वितरण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकार के सरकारी विभाग, बोर्ड और निगमों या अन्य एजेंसियां, जैसे सैन्य इंजीनियरी सेवाएं, नगर निगम, पत्तन, परिवहन उपक्रम, दामोदर घाटी निगम, सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी समझा गया है ;
- (ज) “टैरिफ सहायिकी” से राज्य सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट इकाई को, अधिनियम की धारा 65 के अधीन यथापरिभाषित उपभोक्ताओं की कतिपय श्रेणियों को सहायिकी दरों पर विद्युत के विक्रय के लिए प्रदान की गई, सहायिकी अभिप्रेत है ;
- (झ) “व्यापार प्राप्य” से कारबार के सामान्य उपक्रम में विद्युत के विक्रय या प्रदान की गई संबंधित सेवाओं के मद्दे प्राप्य कोई रकम अभिप्रेत है ।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो यहां प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के वहीं अर्थ होंगे, जो ऐसे शब्दों और पदों के, यथास्थिति, इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए नियमों के क्रमशः दिए गए हैं ।

4. **राजस्व की पहचान**--टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य होने वाले दावों या रकम के लिए, ऐसी वस्तुओं और रकमों की, जिनका टैरिफ आदेशों में वसूली योग्य के रूप में उपबंध किया गया है, वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में पहचान की जाएगी :

परंतु किसी रकम, जिनका टैरिफ आदेशों में उपबंध नहीं किया गया है, की वित्तीय विवरणों में भविष्य के टैरिफ से वसूली योग्य राजस्व या आय के रूप में पहचान नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,--

- (i) राजस्व से अनुसूची के अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरणों में यथा उपबंधित वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में दर्शित होने वाली मद्दे या रकम अभिप्रेत है ।
- (ii) टैरिफ सहायिकी की पहचान और गणना इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी ।

5. **व्यापार प्राप्य का उपबंध किया जाना**--किसी विनिर्दिष्ट इकाई के लिए उपभोक्ताओं के सभी प्रवर्गों से उसके व्यापार प्राप्यों के लिए वित्तीय विवरणों में न्यूनतम उपबंध अपेक्षाएं नीचे दी गई सारणी के प्ररूप में निम्नानुसार होगी

सारणी

भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य	उपबंध का %		
	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	वि.व. 2026-27 और उसके पश्चात्
0 से 90 दिन तक	-	-	-
90 दिन से अधिक और 180 दिन तक	5%	10%	15%
180 दिन से अधिक और 1 वर्ष तक	20%	25%	30%
1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	35%	40%	45%
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	55%	60%	75%
3 वर्ष से अधिक	75%	80%	100%
स्थायी रूप से कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बकाया	75%	75%	75%:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :--

(i) सरकारी उपभोक्ताओं से व्यापार प्राप्तियां ; या

(ii) निर्दिष्ट इकाई जिसका व्यापार प्राप्य दिन कुल आधार पर नब्बे दिन से कम या उसके बराबर है :

परंतु उपयुक्त आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित समिति, जिसमें प्रधान सचिव (विद्युत), प्रधान सचिव (वित्त) और विनिदष्ट संस्था के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे, की सिफारिशों पर उच्चतर उपबंध की आवश्यकता निर्धारित कर सकता है।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(i) सरकारी उपभोक्ताओं पद से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या संबंधित विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और ऐसे ही उपक्रम अभिप्रेत हैं ; और

(ii) व्यापार प्राप्य दिन पद से वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार प्राप्य प्रति दिन औसत राजस्व से विभाजित अभिप्रेत है।

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरणों की सामग्री और रूप--(1) कंपनी अधिनियम के अधीन किए गए वैधानिक प्रकटीकरण के अलावा, निर्दिष्ट इकाई अनुसूची में प्रदान किए गए रूप और तरीके से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण भी तैयार करेगी।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट इकाई के विद्युत से संबंधित कारबार के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

(2) अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण निर्दिष्ट इकाई द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का हिस्सा होंगे और वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स के अधीन 'अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण' शीर्षक वाले अंतिम प्रकटीकरण के रूप में वित्तीय विवरणों से जुड़े होंगे :

परंतु अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण तैयार करने के पहले वर्ष में, निर्दिष्ट इकाई के पास वार्षिक रिपोर्ट या वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण सम्मिलित करने का विकल्प होगा।

(3) अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरणों में निम्नलिखित कथन सम्मिलित होंगे, अर्थात् :--

(i) वित्तीय विवरणों के अनुपूरक प्रकटीकरण ;

(ii) विद्युत क्रय और ऊर्जा लेखांकन ब्यौरे ;

(iii) आपूर्ति की औसत लागत - औसत राजस्व प्राप्त अंतर का विवरण ;

(iv) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि का विवरण ; और

(v) विनिदष्ट निकाय का निष्पादन सारांश।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरणों की तैयारी के पहले वर्ष के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े वैकल्पिक होंगे।

7. अनुपालन का विवरण--अनुपालन का एक विवरण निर्दिष्ट इकाई के प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरणों के प्रारंभ में, यह पुष्टि करते हुए दिया जाएगा कि अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण तैयार किए गए हैं और अनुसूची में प्रदान किए गए रूप और तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं।

अनुसूची: अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण (एडीएस)

अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण 1: वित्तीय विवरणों के लिए अनुपूरक प्रकटीकरण

1. प्रचालन से राजस्व :

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए .. (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए .. (पिछला वर्ष)

(1)	(2)	(3)
(क) ऊर्जा के विक्रय से राजस्व		
अपने उपभोक्ताओं को बिजली का विक्रय निम्न दाब (एलटी), उच्च दाब (एचटी) और अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी))		
ईंधन समायोजन शुल्क (एफएसी)/ ईंधन लागत समायोजन (एफसीए)/ ईंधन और बिजली क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए)/ बिजली क्रय समायोजन चार्ज (पीपीसीए)		
वितरण फ्रेंचाइजी को विक्रय		
दूसरों को बिजली का विक्रय (जैसे अंतर-राज्यीय विक्रय/ऊर्जा व्यापार/अनिर्धारित अंतर-परिवर्तन (यूआई)/विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम)/अंतर डिस्कॉम विक्रय, आदि)		
उपभोक्ताओं से प्राप्त अन्य प्राप्तियां (जैसे मीटर किराया, सेवा किराया, बिजली चोरी और अनाचार के लिए वसूली, आदि)		
(i) कुल		
घटाएँ: उपभोक्ताओं को रिबेट (यदि कोई हो, नकद छूट के अतिरिक्त) (ii)		
टैरिफ सहायकी के बिना ऊर्जा के विक्रय से राजस्व (i-ii)		
जोड़ें: उपभोक्ताओं को दिया जाने वाला बिजली शुल्क/अन्य कर घटाएँ: बिजली शुल्क/सरकार को देय अन्य कर		
ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व का उप-योग		
(ख) अन्य परिचालन आय		
चक्रण चार्ज		
खुली पहुंच चार्ज		
अन्य		
(ग) सहायकी		
विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय सहायकी, ऊर्जा खातों के अनुसार सहायकी प्राप्त श्रेणियों को आपूर्ति की गई इकाईयों की संख्या के अनुसार प्रति यूनिट सहायकी से गुणा की जाती है		
प्राप्त सहायकी		
परिचालन से कुल राजस्व (क+ख+ग)		

टिप्पण: राजस्व को इन नियमों के नियम 4 के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

2. ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व के ब्यौरे :

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए.. (वर्तमान एवं पिछले वर्ष के लिए)						
	विक्रय की गई ऊर्जा - मीटर द्वारा मापी गई (एमयू)	विक्रय की गई ऊर्जा - बिना मीटर वाली (एमयू)	सकल ऊर्जा विक्रय (एमयू)	टैरिफ सहायकी के बिना ऊर्जा के विक्रय से राजस्व	टैरिफ सहायकी का बिल भेजा गया	टैरिफ सहायकी प्राप्त हुई	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	
वाणिज्यिक							
कृषि							
औद्योगिक							
अन्य:							
सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था							
सार्वजनिक जल कार्य							
रेलवे							
शोक आपूर्ति							
वितरण फ्रेन्चाइजी							
अंतर-राज्यीय व्यापार/यूआई/डीएसएम							
अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट कर सकते हैं)							
(i) कुल							
उपरोक्त (i) में से सरकारी उपभोक्ताओं से संबंधित							
राज्य सरकार के उपभोक्ता							
केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता							

4. क्रॉस सहायकी का विवरण :

		31 मार्च, 20.... को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान एवं पिछले वर्ष के लिए)																			
आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) (₹./kWh)	(2)	अधिसूचित टैरिफ	(3)	अधिसूचित सब्सिडी	(4)	बेची गई सकल ऊर्जा (एमयू)	(5)	टैरिफ सब्सिडी बिना ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (करोड़ रुपये)	(6)	औसत बिलिंग दर (ABR) (₹./kWh)	(7)=(6)/(5)	क्रॉस सब्सिडी (₹./kWh) (एसीओएस-एबीआर)	(8)=(2)-(7)	बुकड टैरिफ सब्सिडी (करोड़ ₹. में)	(9)	प्रति टैरिफ सब्सिडी	(10)=(9)/(5)	उपभोक्ता श्रेणीवार नुकसान प्रति यूनिट (₹./kWh) (एबीआर-एसीओएस)	(11)=(8)-(10)	प्रत्यक्ष लाभ के अंतरण माध्यम प्राप्त % टैरिफ सब्सिडी	(12)
(1)																					
लोक जल संकर्म		स्लैब 1....																			
		स्लैब 2....																			
रेल		स्लैब 1....																			
		स्लैब 2....																			
थोक आपूर्ति		स्लैब 1....																			
		स्लैब 2....																			
प्रकीर्ण		स्लैब 1....																			
		स्लैब 2....																			
कुल योग																					
लोक सड़क प्रकाश व्यवस्था																					
लोक जल कार्य																					
रेलवे																					
थोक आपूर्ति																					
फुटकर																					
कुल																					

टिप्पण : (i) स्तंभ (2) में आपूर्ति की औसत लागत (ACoS) का अर्थ है सकल ऊर्जा द्वारा विभाजित लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल व्यय ;

(ii) स्तंभ (3) में अधिसूचित टैरिफ का अर्थ है प्रासंगिक टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू टैरिफ ;

(iii) स्तंभ (5) में बेची गई सकल ऊर्जा (एमयू) का अर्थ है सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर्ड और अनमीटर्ड ऊर्जा बिक्री का योग । ऊर्जा व्यापार या अनिर्धारित इंटरचेंज या विद्युत की अंतर-राष्ट्रीय बिक्री को शामिल किया जाएगा । ओपन एक्सेस या व्हीलिंग यूनिट शामिल नहीं की जाएंगी ।

5. अन्य आय :

विवरण	31 मार्च, 20.. को समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष)	31 मार्च, 20.. को समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष)
(1)	(2)	(3)
ब्याज आय		
(i) बैंक जमाराशियां		
(ii) अन्य		
लाभांश आय		
किराये की आय		
विलंब से भुगतान अधिभार		
अन्य गैर-परिचालन आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट कर सकते हैं)		
कुल		

टिप्पण : स्तंभ (1) में विलंब से भुगतान अधिभार उपकर या विलंबित भुगतान प्रभार का अर्थ है निर्दिष्ट इकाई द्वारा लगाई गई रकम, यदि इसके द्वारा लगाए गए विद्युत बिल का भुगतान बिल पर निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर नहीं किया जा रहा है।

6. उपभोक्ता श्रेणीवार टैरिफ सब्सिडी प्राप्य :

विवरण	31 मार्च, 20.. की स्थिति के अनुसार.. (चालू और पिछला वर्ष के लिए)					
	उपभोक्ता श्रेणी	ओपनिंग बैलेंस	वर्ष के दौरान टैरिफ सब्सिडी का बिल	वर्ष के दौरान प्राप्त टैरिफ सब्सिडी		क्लोजिंग बैलेंस
				चालू वर्ष के लिए	पिछला वर्षों के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
घरेलू						
वाणिज्यिक						
कृषि						
उद्योग-प्रधान						
अन्य (श्रेणी विनिर्दिष्ट कर सकते हैं)						
कुल						

टिप्पण : स्तंभ (3) में सब्सिडी बिल का लेखा-जोखा मानक प्रचालन प्रक्रिया अथवा विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

7. सकल व्यापार प्राप्य :

विवरण	31 मार्च, 20.. की स्थिति के अनुसार। (चालू वर्ष)			31 मार्च, 20.. की स्थिति के अनुसार। (पिछला वर्ष)		
	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपने उपभोक्ताओं (एलटी, एचटी और ईएचटी) को विद्युत की बिक्री के लिए						

9. उधार देने वालों के ब्योरे	31 मार्च, 20 तक .. (चालू वर्ष)						31 मार्च, 20 तक .. (पिछले वर्ष)			
	प्रारंभिक जमा	परिवर्धन	देय भुगतान	पुनर्भुगतान	जमा शेष	प्रारंभिक जमा	परिवर्धन	देय भुगतान	पुनर्भुगतान	जमा शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(7)+(8)-(10)
विशिष्टाँ										
उधार (सुरक्षित और असुरक्षित के बीच विभाजित)										
(क) दीर्घकालिक ऋण - बैंक/एनवीएफसी/अन्य (ऋण के प्रयोजन के साथ नाम भी बताएं)										
(i)										
(ii)										
(एन...)										
(ख) दीर्घकालिक ऋण - सरकार (ऋण का नाम और प्रयोजन बताएं)										
(i)										
(ii)										
(एन...)										
(ग) अल्पवधि ऋण - बैंक/एनवीएफसी/अन्य (ऋण के प्रयोजन के साथ नाम भी बताएं)										
(i)										
(ii)										
(एन...)										
(घ) बांड (ऋण के प्रयोजन के साथ बांड का नाम भी बताएं)										
(i)										
(ii)										
(एन ...)										
कुल उधार: सुरक्षित										
कुल उधार: असुरक्षित										
कुल उधार (सुरक्षित + असुरक्षित)										

टिप्पण: उपरोक्त सारणी में स्तंभ (2), (6), (7) और (11) में उधारों का आरंभिक शेष और समापन शेष दीर्घकालिक उधारों की वर्तमान परिपक्वताओं सहित कुल उधारों को दर्शाता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) - राज्य के भीतर									
सीपीएसई अंतर-राज्यीय उत्पादन स्टेशन									
द्विपक्षीय									
आदान- प्रदान									
संचारण शुल्क									
राज्य की अपनी संचारण कंपनी									
राज्य स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं									
अंतर-राज्यीय स्वतंत्र संचारण परियोजनाएं									
सीपीएसई संचारण कंपनी									
अन्य									
कुल									

अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण 2 : विद्युत क्रय ब्यौरे

एसई का स्वयं उत्पादन (यदि लागू हो) :

		तापीय	जल	नवीकरणीय ऊर्जा	नाभिकीय	अन्य	कुल
सकल उत्पादन	एमयू						क
सहायक उपभोग	एमयू						ख
शुद्ध उत्पादन	एमयू						ग=क-ख
कुल उत्पादन लागत	करोड़ रु.						घ

दीर्घकालिक विद्युत क्रय :

		तापीय	जल	नवीकरणीय ऊर्जा	नाभिकीय	अन्य	कुल
मात्रा	एमयू						ड
नियत प्रभार	करोड़ रु.						च1
ऊर्जा प्रभार	करोड़ रु.						च2
कुल विद्युत क्रय लागत	करोड़ रु.						च=च1+च2
देर से संदाय अधिभार (एलपीएस)	करोड़ रु.						छ
एलपीएस सहित दीर्घकालिक विद्युत क्रय लागत	करोड़ रु.						ज= च+छ

मध्यकालिक विद्युत क्रय :

		तापीय	जल	नवीकरणीय ऊर्जा	नाभिकीय	अन्य	कुल
मात्रा	एमयू						झ
नियत प्रभार	करोड़ रु.						ञ1
ऊर्जा प्रभार	करोड़ रु.						ञ2

कुल विद्युत क्रय लागत	करोड़ रु.						ज= ज1+ज2
देर से संदाय अधिभार (एलपीएस)	करोड़ रु.						ट
एलपीएस सहित मध्यकालिक विद्युत क्रय लागत	करोड़ रु.						ठ=ज+ट

अल्पकालिक विद्युत क्रय :

		तापीय	जल	नवीकरणीय ऊर्जा	नाभिकीय	अन्य	कुल
मात्रा-द्विपक्षीय	एमयू						ड
विद्युत क्रय लागत-द्विपक्षीय	करोड़ रु.						ढ
मात्रा-विनिमय	एमयू						ण
विद्युत क्रय लागत-विनिमय	करोड़ रु.						त
कुल विद्युत क्रय लागत	करोड़ रु.						थ=ढ+त

सकल निवेश ऊर्जा	एमयू	द=ग+ड+झ+ड+ण
एसई की परिधि के बाहर बेची गई ऊर्जा	एमयू	ध
अंतर्राज्यिक पारेषण हानियां	एमयू	न
अंतरराज्यिक पारेषण हानियां	एमयू	प
एसई की परिधि पर उपलब्ध ऊर्जा	एमयू	फ= द-ध-न-प
एसई की परिधि के भीतर विक्रीत ऊर्जा	एमयू	ब
वितरण हानि	एमयू	भ=फ-ब
बिलिंग दक्षता	%	ख.ड= ब/फ*100
कुल विद्युत क्रय लागत	करोड़ रु.	म= घ+ज+ठ+थ
केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (एसटीयू) और प्रादेशिक भार पारेषण केंद्र (आरएलडीसी) प्रभार	करोड़ रु.	य
राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू) और राज्य भार पारेषण केंद्र (एसएलडीसी) प्रभार	करोड़ रु.	यक
विद्युत क्रय और पारेषण की कुल लागत	करोड़ रु.	यख= म+य+यक
एसई के लिए औसत क्रय विद्युत लागत	र./कि वा.घं	यग= यख*10/द
एसई के लिए औसत क्रय विद्युत लागत (पारेषण हानि के पश्चात्)	र./कि वा.घं	यघ= यख*10/फ

अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण 3 : आपूर्ति की औसत लागत का विवरण (एसीएस) औसत राजस्व वसूल करना (एआरआर) अंतर :

क्र. सं.	मानदंड	इकाई	विवरण	31 मार्च, 20.... को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च, 20.... को समाप्त वर्ष के लिए (पूर्ववर्ती वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	सकल निवेश ऊर्जा	एमयू	एसई का स्वयं उत्पादन – सहायक उपभोग + क्रय की गई ऊर्जा (सकल)		
(ii)	कुल व्यय	करोड़ रु.	लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल व्यय (असाधारण व्यय)		

			और उपबंधों सहित)		
(iii)	कुल राजस्व	करोड़ रु.	लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल राजस्व		
(iv)	आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)	रु./कि वा.घं	(ii)*10/क		
(v)	औसत वसूली राजस्व (एआरआर)	रु./कि वा.घं	(iii)*10/क		
(vi)	एसीएस – एआरआर अंतर	रु./कि वा.घं	(iv)-(फ)		
(vii)	समायोजित कुल राजस्व	रु./कि वा.घं	नीचे दिए गए टिप्पण के अनुसार		
(viii)	समायोजित औसत वसूली आय (एआरआर)	रु./कि वा.घं	(vii)*10/क		
(ix)	समायोजित एसीएस – एआरआर अंतर	रु./कि वा.घं	(iv)-(viii)		

टिप्पण : (i) स्तंभ (2) से सकल निवेश ऊर्जा से क्रय की गई ऊर्जा और विशेष इकाईयों का स्वयं उत्पादन, यदि कोई हो (सहायक उपभोग का शुद्ध) अभिप्रेत है;

(ii) स्तंभ (2) में समायोजित कुल राजस्व की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

विशिष्टियां	31 मार्च, 20.... को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च, 20.... को समाप्त वर्ष के लिए (पूर्ववर्ती वर्ष)
(1)	(2)	(3)
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल राजस्व		
उपरोक्त कुल राजस्व में सम्मिलित वस्तुओं का समायोजन		
कम : टैरिफ सहायकी बिल और प्राप्त नहीं		
कम : सकल व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि जोड़े : सकल व्यापार प्राप्तियों में कमी		
कम : अन्य सरकारी सहायकी (राजस्व प्रकृति का अनुदान यदि कुल राजस्व में सम्मिलित है किंतु प्राप्त नहीं हुआ है)		
कम : पूंजीगत प्रकृति के सरकारी अनुदान (यदि कुल राजस्व में सम्मिलित हैं)		
समायोजित कुल राजस्व		

अतिरिक्त प्रकटन विवरण 4 : सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि का विवरण (एटी और सी):

क्र.सं.	मानदंड	यूनिट	वर्णन	31 मार्च, 20.. को समाप्त होने वाला वर्ष (चालू वर्ष)	31 मार्च, 20.. को समाप्त होने वाला वर्ष (पूर्व वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क	सकल इनपुट ऊर्जा	एमयू	एसई का स्वतः उत्पादन-सहायक उपभोग + क्रय की गई ऊर्जा		

क्र.सं.	मानदंड	यूनिट	वर्णन	31 मार्च, 20.. को समाप्त होने वाला वर्ष (चालू वर्ष)	31 मार्च, 20.. को समाप्त होने वाला वर्ष (पूर्व वर्ष)
			(सकल)		
ख1	अंतर्राज्यिक विक्रय/व्यापारिक ऊर्जा/यूआई	एमयू			
ख2	पारेषण हानियां	एमयू			
ग	शुद्ध इनपुट ऊर्जा	एमयू	ग=क-ख1-ख2		
घ	विक्रय की गई ऊर्जा	एमयू	व्यापारिक ऊर्जा/अंतर्राज्यिक विक्रय/यूआई की यूनिटों को अपवर्जित करते हुए सभी प्रवर्गों के उपभोक्ताओं को विक्रय की गई ऊर्जा		
ङ	टैरिफ सहायकी प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व	रुपए करोड़ में	सभी प्रवर्गों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा के विक्रय से राजस्व (जिसके अंतर्गत टैरिफ सहायकी प्राप्ति भी है) किंतु व्यापारिक ऊर्जा/अंतर्राज्यिक विक्रय/यूआई से राजस्व अपवर्जित है।		
च	आरंभिक व्यापार प्राप्य	रुपए करोड़ में	व्यापार प्राप्य अनुसूची के अनुसार सकल आरंभिक व्यापार प्राप्य		
छ	अंतिम व्यापार प्राप्य	रुपए करोड़ में	(i) व्यापार प्राप्य नोट के अनुसार सकल अंतिम व्यापार प्राप्य		
			(ii) वर्ष के दौरान (i) से प्रत्यक्ष अपलिखित कोई रकम		
ज	ऊर्जा के विक्रय के लिए समायोजित अंतिम व्यापार प्राप्य	रुपए करोड़ में	छ(i)+छ(ii)		
झ	संग्रहण दक्षता	%	$(\text{ङ}+\text{च}-\text{छ}) \times 100/\text{ङ}$		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ञ	बिलिंग दक्षता	%	अतिरिक्त प्रकटन विवरण 2 से लिया गया मूल्य		
ट	वसूलीकृत यूनिट	एमयू	घ*झ		
ठ	गैर वसूलीकृत यूनिट	एमयू	ग-ट		
ड	सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां	%	ठ*100/ग		

टिप्पण: (i) स्तंभ (2) में संग्रहण दक्षता की उच्चतम सीमा 100% होगी।

(ii) सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि, राजस्व और व्यापार प्राप्यों की संगणना के लिए केवल निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) एलटी, एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय, उपभोक्ताओं को शुद्ध पर बढ़ा;

(ख) उपभोक्ताओं से अन्य प्राप्तियां (जैसे कि मीटर किराया, किराए की सेवा, ऊर्जा की चोरी और अनाचार के लिए वसूलीयां आदि);

(ग) एफएसी/एफसीए/एफपीपीसीए/पीपीएसी ।

(iii) सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि, राजस्व और व्यापार प्राप्तियों की संगणना के लिए निम्नलिखित अपवर्जित होंगे:

(क) विद्युत शुल्क और अन्य कर;

(ख) ऊर्जा का संचरण;

(ग) खुली पहुंच वाला विक्रय;

(घ) अंतर्राज्यिक विक्रय/व्यापारिक ऊर्जा/यूआई/डीएसएम/अंतर डिस्कॉम विक्रय के माध्यम से विद्युत का विक्रय;

(ङ) विलंबित संदाय अधिभार/देर से संदाय अधिभार ।

अतिरिक्त प्रकटन विवरण 5 : विनिर्दिष्ट अस्तित्व के संपादन का सार :

मद	यूनिट	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संदेय	दिनों की संख्या	उत्पादनकर्ता कंपनियों को		
		पारेषण की कंपनियों को		
		अन्य को		
राज्य सरकार द्वारा ग्रहण की गई हानि	रुपए करोड़ में	वर्ष के दौरान परिचालन अंतराल निधिकरण		
		पूर्व वर्ष के लिए ग्रहण की गई हानि		
समाश्रित दायित्व-प्रत्याभूतियां	रुपए करोड़ में	बकाया कुल रकम जिसके लिए प्रत्याभूतियां जारी की गई हैं ।		
राज्य सरकार/ राज्य पीएसयू विनिर्दिष्ट अस्तित्व के निमित्त प्रत्याभूति देती है ।	रुपए करोड़ में	बकाया कुल रकम जिसके लिए प्रत्याभूतियां ली गई हैं ।		
सरकारी कार्यालयों की पूर्वसंदत्त मीटरिंग	सं.			
कुल सरकारी कार्यालय	सं.			
पूर्वसंदत्त पर सरकारी कार्यालयों की प्रतिशतता	%			
संचयी पोषक मीटरिंग	%	कुल पोषकों को संचयी मीटरों के साथ पोषकों की प्रतिशतता		
संचयी वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) मीटरिंग	%	कुल डीटी को संचयी मीटरों के साथ डीटी की प्रतिशतता		
लेखे	हस्ताक्षर की	क्यू 1 के लिए तीमाही संपरीक्षित लेखों को तैयार करना		

	तारीख	क्यू 2 के लिए तीमाही संपरीक्षित लेखों को तैयार करना		
		क्यू 3 के लिए तीमाही संपरीक्षित लेखों को तैयार करना		
		क्यू 4 के लिए तीमाही संपरीक्षित लेखों को तैयार करना		
		पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तैयार करना		
ऊर्जा लेखे	हस्ताक्षर की तारीख	क्यू 1 के लिए तीमाही ऊर्जा लेखों को तैयार करना		
		क्यू 2 के लिए तीमाही ऊर्जा लेखों को तैयार करना		
		क्यू 3 के लिए तीमाही ऊर्जा लेखों को तैयार करना		
		क्यू 4 के लिए तीमाही ऊर्जा लेखों को तैयार करना		
		पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा वार्षिक लेखों को तैयार करना		
टैरिफ आदेशों के ब्योरे				
टैरिफ याचिका फाइल करने की तारीख	तारीख			
टैरिफ आदेश जारी करने की तारीख	तारीख			
टू-अप याचिका फाइल करने की तारीख	तारीख			
टू-अप आदेश जारी करने की तारीख	तारीख			
कर्मचारी	सं.	आरंभित		
	सं.	क. स्थायी		
	सं.	ख. संविदाकारी/ नैमित्तिक		
	सं.	वर्ष के दौरान भर्ती		
	सं.	क. स्थायी		
	सं.	ख. संविदाकारी/ नैमित्तिक		
	सं.	वर्ष के दौरान सेविनिवृत्ति/ पृथक्करण		
	सं.	ग. स्थायी		
	सं.	घ. संविदाकारी/ नैमित्तिक		
सं.	अंतिम			

	सं.	ड. स्थायी		
	सं.	च. संविदाकारी/ नैमित्तिक		
आरपीओ	एमयू	लक्ष्य		
	एमयू	उपलब्धि		

टैरिफ आदेश मूल्यांकन

वार्षिक राजस्व अपेक्षा	याचिका	अनुमोदित	अननुज्ञात के लिए कारण

टू-अप आदेश मूल्यांकन

वार्षिक राजस्व अपेक्षा	याचिका	अनुमोदित	अननुज्ञात के लिए कारण

[फा.सं. 06/03/2021- यु. आर. एंड. एस. आई-II]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2024

G.S.R. 635(E).—In pursuance of sub-section (1) and clause(z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with second proviso to sub-section (1) of section 129 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Electricity Distribution (Accounts and Additional Disclosure) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Applicability.**-These rules shall be applicable to Specified Entity.
- Definition.**-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - “**Additional Disclosure Statements**” means the statements disclosing particulars as provided in Schedule annexed to these rules;
 - “**Companies Act**” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - “**Financial Statement**” means Financial Statements referred to in clause (40) of section 2 read with section 129 of the Companies Act;
 - “**financial year**” means the financial year referred to in clause (41) of section 2 of the Companies Act;
 - “**Schedule**” means the Schedule annexed to these rules;

- (g) **“Specified Entity”** means distribution licensees excluding Government Departments, Boards and Corporations or other agencies of the Central and State Government such as the Military Engineering Services, Municipal Corporations, Ports, Transport Undertakings, Damodar Valley Corporation, which are deemed licensees under section 14 of the Act.
- (h) **“tariff subsidy”** means the subsidy provided by the State Government to any specified entity for sale of power at subsidised rates to certain categories of consumers as defined under section 65 of the Act.
- (i) **“trade receivable”** means an amount receivable on the account of sale of power or related services rendered in the normal course of business.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these rules, shall have the meanings respectively assigned to such words and expressions in the Act or the Companies Act or the rules made there under, as the case may be.

4. Recognition of revenue.-For claims or sums to be recoverable through tariff, such items and sums which have been provided in the tariff orders as recoverable shall be recognised as revenue in the Financial Statements:

Provided that any sum which has not been provided in the tariff orders shall not be recognised as revenue or income recoverable from future tariff in the Financial Statements.

Explanation.- For the purposes of these rules, it is hereby clarified that,-

(i) revenue means the items or sums appearing as revenue in the Financial Statements as provided in Additional Disclosure Statements of the Schedule.

(ii)tariff subsidy shall be recognised and accounted for as per rules made in this regard.

5. Provisioning of trade receivables.-The minimum provisioning requirement for a Specified Entity on its trade receivables from all category of consumers in the Financial Statements shall be as follows in the form of table given below:

Table

Trade receivables outstanding for following periods from due date of payment	% of Provisioning		
	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2026-27 and onwards
0 and up to 90 days	-	-	-
Exceeding 90 days and up to 180 days	5%	10%	15%
Exceeding 180 days and up to 1 year	20%	25%	30%
Exceeding 1 year and up to 2 years	35%	40%	45%
Exceeding 2 years and up to 3 years	55%	60%	75%
More than 3 years	75%	80%	100%
dues from permanently disconnected consumers	75%	75%	75%:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to:-

(i) trade receivables from Government Consumers; or

(ii) Specified Entity having trade receivable days less than or equal to ninety days on aggregate basis:

Provided further that the appropriate Commission may set a higher provisioning requirement on the recommendations of a Committee set up by the State Government which shall consist of Principal Secretary (Power), the Principal Secretary (Finance) and the Chairman and Managing Director of the Specified Entity as members.

Explanation.-For the purposes of this rule, the expressions,-

(i) Government consumers means the departments, urban local bodies, rural local bodies, public sector undertakings and the like owned or belonging to the State Government and the Central Government; and

(ii) Trade receivable days means trade receivables at the end of the financial year divided by average revenue per day.

6. Content and form of Additional Disclosure Statements- (1) In addition to the statutory disclosures as mandated under the Companies Act, the Specified Entity shall also prepare the Additional Disclosure Statements for each financial year in the form and manner as provided in the Schedule.

Explanation.-For the purposes of this rule, it is hereby clarified that the Additional Disclosure Statements are required to be prepared for the power related business of the Specified Entity.

- (2) The Additional Disclosure Statements shall be part of the Financial Statements prepared by the Specified Entity and are to be annexed to the Financial Statements as the last disclosure titled ‘Additional Disclosure Statements’ under the notes to accounts of the Financial Statements:

Provided that in the first year of preparation of Additional Disclosure Statements, the Specified Entity shall have the option to include Additional Disclosure Statements either in the annual report or in the Financial Statements.

(3) The Additional Disclosure Statements shall comprise the following statements, namely:-

- (i) supplementary disclosures to Financial Statements;
- (ii) power purchase and energy accounting details;
- (iii) statement of Average Cost of Supply-Average Revenue Realised gap;
- (iv) statement of Aggregate Technical and Commercial loss; and
- (v) performance summary of Specified Entity.

Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby clarified that for the first year of preparation of Additional Disclosure Statements, comparative figures of previous financial year shall be optional.

7. Statement of compliance.- A statement of compliance shall be given by the management of Specified Entity at the beginning of the Additional Disclosure Statements confirming that the Additional Disclosure Statements are prepared and presented in the form and manner provided in the Schedule.

Schedule: Additional Disclosure Statements (ADS)

Additional Disclosure Statement 1: Supplementary disclosures to Financial Statements

1. Revenue from operations:

Particulars	For the year ended 31st March, 20.. (current year)	For the year ended 31st March, 20.. (previous year)
(1)	(2)	(3)
(a) Revenue from sale of energy		
Sale of power to own consumers (Low Tension (LT), High Tension (HT) and Extra High Tension (EHT))		
Fuel Adjustment Charge (FAC)/ Fuel Cost Adjustment (FCA)/ Fuel and Power Purchase Cost Adjustment (FPPCA)/ Power Purchase Adjustment Charge (PPAC)		
Sale to Distribution Franchisee		
Sale of power to others (such as inter-State sale/ energy traded/Unscheduled Inter-change (UI)/Deviation Settlement Mechanism (DSM)/inter DISCOM sale, etc.)		
Other receipts from consumers (such as meter rents, service rentals, recoveries for theft of power and malpractices, etc.)		
(i) Total		
Less: rebate to consumers (if any, other than cash discount) (ii)		
Revenue from sale of energy without tariff subsidy (i-ii)		
Add: electricity duty/ other taxes billed to consumers		
Less: electricity duty/ other taxes payable to Government		
Sub-total of revenue from sale of energy		
(b) Other operating income		
Wheeling charges		
Open access charges		
Others		
(c) Subsidy		
Subsidy payable by State Government in accordance with the Electricity (Second Amendment) Rules, 2023 as per the number of units supplied to subsidized categories according to energy accounts multiplied by the per unit subsidy		
Subsidy received		
Total revenue from operations (a + b + c)		

Note: Revenue to be recognised in accordance with rule 4 of these Rules.

5. Other income:

Particulars	For the year ended 31 st March, 20..	For the year ended 31 st March, 20..
	(current year)	(previous year)
(1)	(2)	(3)
Interest Income		
(i) Bank deposits		
(ii) Others		
Dividend income		
Rental income		
Late payment surcharge		
Other non-operating income (may specify nature)		
Total		

Note: In column (1) late payment surcharge cess or delayed payment charges means the amounts levied by Specified Entity, if the electricity bill raised by it is not being paid within the due date specified on the bill.

6. Consumer category wise tariff subsidy receivables:

Particulars	As on 31 st , March 20.. (For Current and Previous Year)				
	Opening balance	Tariff subsidy billed during the year	Tariff subsidy received during the year		Closing balance
			For current year	For previous years	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Domestic					
Commercial					
Agricultural					
Industrial					
Others (may specify category)					
Total					

Note: In column (3) accounting for subsidy billed shall be as per standard operating procedure or guidelines issued by Ministry of Power in this regard from time to time.

8. Gross trade receivables:

Particulars	As at 31 st March, 20..			As at 31 st March, 20..		
	(current year)			(previous year)		
	Current	Non- current	Total	Current	Non- current	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
For sale of power to own consumers (LT, HT and EHT)						
For sale to distribution franchisee						
For sale of power to others (such as						

9. Details of borrowings:

Particulars	As at 31 st March, 20.. (current year)					As at 31 st March, 20.. (previous year)				
	Opening balance	Additions	Due for payment	Repayments	Closing balance	Opening balance	Additions	Due for payment	Repayments	Closing balance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(7)+(8)-(10)
Borrowings(bifurcate between secured and un-secured)										
(a) Long term loans – banks/NBFC/ others (specify name along with purpose of loan)										
(i)										
(ii)										
(n...)										
(b) Long term loans –Government (specify name along with purpose of loan)										
(i)										
(ii)										
(n...)										
(c) Short term loans - banks/NBFC/others (Specify name along with purpose of loan)										
(i)										
(ii)										
(n...)										
(d) Bonds (specify name of bonds along with purpose of loan)										
(i)										
(ii)										
(n...)										
Total borrowing: secured										
Total borrowing: un-secured										
Total borrowing (secured + un-secured)										

Note: In column (2), (6), (7) and (11) opening balance and closing balance of borrowings in above table reflects total borrowings including current maturities of long-term borrowings.

Others								
Total								

Additional Disclosure Statement 2: Power purchase details:

Own generation of SE (if applicable):

		Thermal	Hydro	Renewable energy	Nuclear	Others	Total
Gross generation	MU						A
Auxiliary consumption	MU						B
Net generation	MU						C = A - B
Total generation cost	Rs. Cr						D

Long term power purchase:

		Thermal	Hydro	Renewable energy	Nuclear	Others	Total
Quantum	MU						E
Fixed charges	Rs. Cr						F1
Energy charges	Rs. Cr						F2
Total power purchase cost	Rs. Cr						F = F1+F2
Late Payment Surcharge (LPS)	Rs. Cr						G
Long term power purchase cost including LPS	Rs. Cr						H = F+G

Medium term power purchase:

		Thermal	Hydro	Renewable energy	Nuclear	Others	Total
Quantum	MU						I
Fixed Charges	Rs. Cr						J1
Energy Charges	Rs. Cr						J2
Total power purchase cost	Rs. Cr						J = J1+J2
Late Payment Surcharge (LPS)	Rs. Cr						K
Medium term power purchase cost including LPS	Rs. Cr						L = J+K

Short term power purchase:

		Thermal	Hydro	Renewable energy	Nuclear	Others	Total
Quantum - bilateral	MU						M
Power purchase cost – bilateral	Rs. Cr						N
Quantum - exchange	MU						O
Power purchase cost – exchange	Rs. Cr						P
Total power purchase cost	Rs. Cr						Q=N+P

Gross input energy	MU	R=C+E+I+M+O
Energy sold outside SE's periphery	MU	S
Inter-State transmission losses	MU	T
Intra State transmission losses	MU	U
Energy available at SE's periphery	MU	V= R-S-T-U

Energy sold within SE's periphery	MU	W
Distribution loss	MU	$X=V-W$
Billing efficiency	%	$B.E = W/V*100$
Total power purchase cost	Rs. Cr	$Y= D+H+L+Q$
Central Transmission Utility (CTU)&Regional Load Despatch Centre (RLDC) charges	Rs. Cr	Z
State Transmission Utility(STU)&State Load Despatch Centre (SLDC) charges	Rs. Cr	ZA
Total cost of power purchase & transmission	Rs. Cr	$ZB= Y+Z+ZA$
Average power purchase cost for SE	Rs./kWh	$ZC= ZB*10/R$
Average power purchase cost for SE (after transmission loss)	Rs./kWh	$ZD= ZB*10/V$

Additional Disclosure Statement 3: Statement of Average Cost of Supply (ACS) –Average Revenue Realised (ARR)gap:

S.No.	Parameter	Units	Description	For the year ended 31st March, 20.. (current year)	For the year ended 31st March, 20.. (previous year)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	Gross input energy	MU	SE's own generation - auxiliary consumption + energy purchased (Gross)		
(ii)	Total expenses	Rs. crore	Total expenses as per statement of profit and loss(including extraordinary expenses & provisions)		
(iii)	Total revenue	Rs. crore	Total revenue as per statement of profit and loss		
(iv)	Average Cost of Supply (ACS)	Rs/kwh	(ii)*10/A		
(v)	Average Realizable Revenue (ARR)	Rs/kwh	(iii)*10/A		
(vi)	ACS - ARR gap	Rs/kwh	(iv)-(v)		
(vii)	Adjusted total revenue	Rs. crore	As per note below		
(viii)	Adjusted Average Realizable Revenue (ARR)	Rs/kwh	(vii)*10/A		
(ix)	Adjusted ACS - ARR Gap	Rs/kwh	(iv)-(viii)		

Note:(i) In column (2) gross input energy means sum of energy purchased and special entity's own generation, if any (net of auxiliary consumption);

(ii) In column (2) adjusted total revenue to be calculated as below:

Particulars	For the year ended 31st March, 20.. (current year)	For the year ended 31st March, 20.. (previous year)
(1)	(2)	(3)
Total revenue as per statement of profit and loss		
Adjustments of items included in total revenue above		
Less: tariff subsidy billed and not received		

Less: increase in gross trade receivables		
Add: decrease in gross trade receivables		
Less: other Government subsidy/ grant of revenue nature (if included in total revenue but not received)		
Less: Government grants of capital nature (if included in total revenue)		
Adjusted total revenue		

Additional Disclosure Statement 4: Statement of (Aggregate Technical & Commercial (AT and C) loss:

S.No.	Parameter	Unit	Description	For the year ended 31st March, 20.. (current year)	For the year ended 31st March, 20.. (previous year)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Gross input energy	MU	SE's own generation - auxiliary consumption + energy purchased (gross)		
B1	Inter-State sale/ energy traded/UI	MU			
B2	Transmission losses	MU			
C	Net input energy	MU	C= A-B1-B2		
D	Energy sold	MU	Energy sold to all categories of consumers excluding units of energy traded/ inter-State sales/UI		
E	Revenue from sale of energy on tariff subsidy received basis	Rs. crore	Revenue from sale of energy to all categories of consumers (including tariff subsidy received) but excluding revenue from energy traded/ inter-State sales/UI		
F	Opening trade receivable	Rs. crore	Gross opening trade receivable as per trade receivable schedule.		
G	Closing trade receivables	Rs. crore	(i) Gross closing trade receivables as per trade receivable note		
			(ii) Any amount written off during the year directly from (i)		
H	Adjusted closing trade receivable for sale of energy	Rs. crore	G(i)+G(ii)		
I	Collection efficiency	%	$(E+F-H)*100/E$		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Billing efficiency	%	Value to be taken from Additional Disclosure Statement 2		
K	Units realized	MU	D*I		
L	Units un-realized	MU	C-K		
M	AT&C losses	%	L*100/C		

Note:(i) In column (2) collection efficiency to be capped at 100%.

(ii)For calculation of AT&C loss, revenue and trade receivables shall include only:

(a)Sale of power to LT, HT and EHT consumers net of rebate to consumers;

(b) Other receipts from consumers (such as meter rents, service rentals, recoveries for theft of power and malpractices, etc.);

(c) FAC/FCA/ FPPCA/PPAC.

(iii) For calculation of AT&C loss, revenue and trade receivables shall exclude:

- (a) Electricity duty/other taxes;
- (b) Wheeling of energy;
- (c) Open access sale;
- (d) Sale of power through inter-State sale/ energy traded/UI/DSM/ inter DISCOM sale;
- (e) Delayed payment surcharge/ late payment surcharge.

Additional Disclosure Statement 5: Performance summary of Specified Entity:

Item	Unit	Particulars	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Payables	No. of Days	To generating companies		
		To transmission companies		
		To others		
Loss taken over by State Government	Rs. Crore	Operational gap funding during the year		
		Loss taken over for previous year		
Contingent liabilities - guarantees	Rs. Crore	Outstanding total amount against which guarantees have been issued		
State Govt./ State PSUs guarantees on behalf of specified entity	Rs. Crore	Outstanding total amount against which guarantees have been taken		
Prepaid metering of Government offices	Nos.			
Total Govt. offices	Nos.			
% of Govt. offices on prepaid	%			
Communicable feeder metering	%	% of feeders with communicable meters to total feeders		
Communicable Distribution Transformer (DT) Metering	%	% of DTs with communicable meters to total DTs		
Accounts	Date of signing	Preparation of quarterly audited accounts for Q1		
		Preparation of quarterly audited accounts for Q2		
		Preparation of quarterly audited accounts for Q3		
		Preparation of quarterly audited accounts for Q4		
		Preparation of audited annual accounts for last financial year		
Energy accounts	Date of signing	Preparation of quarterly energy accounts for Q1		
		Preparation of quarterly energy accounts for Q2		
		Preparation of quarterly energy accounts for Q3		
		Preparation of quarterly energy accounts for Q4		
		Preparation of annual energy accounts for last financial year		
Details of tariff orders				
Date of filing of tariff petition	Date			
Date of issuance of tariff order	Date			

Date of filing of true-up Petition	Date			
Date of issuance of true-up order	Date			
Employees	No.	Opening		
	No.	a. Permanent		
	No.	b. Contractual/ casual		
	No.	Recruitment during the year		
	No.	a. Permanent		
	No.	b. Contractual/ casual		
	No.	Retirement/ separation during the year		
	No.	a. Permanent		
	No.	b. Contractual/ casual		
	No.	Closing		
	No.	a. Permanent		
	No.	b. Contractual/ casual		
RPO	MU	Target		
	MU	Achievement		

Tariff order analysis

Annual Revenue Requirement (ARR)	Petition	Approved	Reason for disallowance

True-up order analysis

Annual Revenue Requirement (ARR)	Petition	Approved	Reason for disallowance

[F. No. 06/03/2021-UR&SI-II]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.